भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4800
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

ऋतुस्त्राव संबंधी अवकाश

4800. **डॉ. डी. रवि कुमार:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संपूर्ण देश में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए ऋतुस्त्राव संबंधी अवकाश के कार्यान्वयन पर पुनर्विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ऋतुस्त्राव संबंधी स्वास्थ्य, स्वच्छता और ऋतुस्त्राव संबंधी अवकाश के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए किसी जागरूकता कार्यक्रम/पहल की योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) एवं (ख): इस मामले में वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): सरकार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना कार्यान्वित करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इस योजना में सहयोग किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस योजना के तहत,

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (आशा) द्वारा किशोरियों को रियायती दरों पर सैनिटरी नैपकिन पैक प्रदान किए जाते हैं। सरकार मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के लिए क्षेत्र स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के उन्मुखीकरण और आईईसी कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बजट भी प्रदान करती है।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता संबंधी पहलू पर व्यवहार परिवर्तन से संबंधित अपने समग्र कार्यकलाप के हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) पर जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके अलावा, रियायती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का कार्यान्वयन करता है, जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत, देश भर में 15000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो किफायती दवाओं के अलावा, सुविधा नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन केवल 1 रुपये प्रति पैड की कीमत पर उपलब्ध कराते हैं।

*****